

दिनांक शिमला-171001

16 MAR 2021
मार्च, 2021

सेवा में,

- ✓ 1. समस्त आचार्य
राजकीय महाविधालय, संस्कृत महाविधालय, पुस्तकालयध्यक्ष,
जवाहर लाल नेहरू ललित कला महाविधालय शिमला व
जी0सी0टी0ई0 धर्मशाला, कांगडा।
2. समस्त उपशिक्षा निदेशक उच्चतर
हिमाचल प्रदेश।

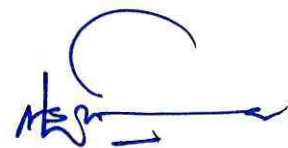
विषय: क्षतिग्रस्त शिलान्यास व उद्घाटन पट्टिकाओं बारे दिशा निर्देश।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय में आपका ध्यान पत्र संख्या जी0ए0डी0-सी0(डी0)7-2/2015 दिनांक 10.02.2021 जो कि मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार से सचिव शिक्षा, हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या ईडीन-बी-सी(17)-1/2013 एमएलए प्रायोरटी दिनांक 22.02.2021 व पत्र संख्या ईडीन-ए-का(4)-4/2019 दिनांक 12.02.2021 के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

इस संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह आदेश दिए हैं कि यदि किसी विभाग की शिलान्यास व उद्घाटन पट्टिका क्षतिग्रस्त पाई जाती है, तो शरारती तत्वों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाने हेतु सम्बन्धित विभाग का यह उत्तरदायित्व बनता है कि प्राथमिकता के आधार पर इस संदर्भ में सम्बन्धित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करें तथा इन क्षतिग्रस्त पट्टिकाओं की अविलम्ब मुरम्मत करके पुनः स्थापित करना भी सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत, आपको यह आदेश दिया जाता है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिये गए आदेशों के अनुसार कार्यवाही करे तथा क्षतिग्रस्त शिलान्यास व उद्घाटन पट्टिकाओं की मुरम्मत हेतु धनराशि का प्रावधान महाविधालय व स्कूलों के अपने भवन निधि से उपलब्धता के आधार पर व कॉमन पूल निधि से प्राथमिकता के आधार पर करें।



(डॉ० अमरजीत कुमार शर्मा)

शिक्षा निदेशक उच्चतर

हिमाचल प्रदेश शिमला-1

दूरभाष न0- 0177-2656621,

ई मेल dhe-sml-hp@gov.in